

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2019/अग्रहायण 5, 1941

No. 690]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2019/AGRAHAYANA 5, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2019

सं. 62/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 879(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उन व्यक्तियों को, व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके कारबार का प्रमुख स्थान या कारबार का स्थान 30 अक्तूबर, 2019 तक तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में था; और 31 अक्तूबर, 2019 से और उसके बाद जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, जो 31 दिसम्बर, 2019 तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्रमण तारीख कहा गया है) नीचे यथा-उल्लिखित निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

- 2 व्यक्तियों का उक्त वर्ग:-
 - (i) नीचे दिए गए अक्तूबर, 2019 और नवंबर, 2019 मास के लिए उक्त अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (106) के अनुसार कर अवधि सुनिश्चित करेंगे :
 - (क) अक्तूबर, 2019 : 1 अक्तूबर, 2019 से 30 अक्तूबर, 2019 तक ;
 - (ख) नवम्बर, 2019 : 31 अक्तूबर, 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक ;
 - (ii) 31 अक्तबूर, 2019 से संक्रमण तारीख तक के लिए बनाए गए बीजकों, या अन्य समान दस्तावेजों, में प्रभारित कर की विशिष्टियों को विचार में लिए बिना, उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी में समुचित लागू कर का संदाय करेगा ;

6115 GI/2019 (1)

- (iii) उसे नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, 30 अक्तूबर, 2019 तक के रिजस्ट्रीकृत माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) से इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) 31 अक्तूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में नई जीएसटीआईएन में अतंरण करने का विकल्प होगा :
 - (क) व्यक्तियों का उक्त वर्ग नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के एक मास के भीतर आईटीसी के अंतरण के संबंध में अंतरक और अंतरिती के अधिकारिता वाले कर अधिकारी को सुचित करेगा ;
 - (ख) आईटीसी का, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के स्थान आवर्त के अनुपात के आधार पर अंतरण किया जाएगा :
 - (ग) आईटीसी का अंतरण संक्रमण तारीख के पहले किसी कर अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी के माध्यम से किया जाएगा और अंतरक जीएसटीआईएन को **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(ख)(2) में अपने इलैक्ट्रानिक जमा खाते से उक्त आईटीसी को विकलित करेगा और अंतरिती जीएसटीआईएन को, **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(क)(5) में के अपने इलैक्ट्रानिक जमा खाते में आईटीसी की समतुल्य रकम जमा करेगा।
- 3. व्यक्तियों के उक्त वर्ग के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में के राज्य कर का अतिशेष का, जिसके कारबार का मुख्य स्थान 31 अक्तूबर, 2019 से लहाख संघ राज्यक्षेत्र में है, इलैक्ट्रानिक जमा खाते में संघ राज्यक्षेत्र कर के अतिशेष के रूप में अंतरण किया जाएगा।
- 4. उक्त अधिनियम की धारा 24 के खंड (i) के उपबंध 31 अक्तूबर, 2019 से संक्रमण की तारीख तक जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लहाख संघ राज्यक्षेत्र के मध्य अंतरराज्यिक प्रदाय करने वाले व्यक्तियों के उक्त वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

[फा.सं. 20/06/06/2019-जीएसटी]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2019

No. 62/2019-Central Tax

- **G.S.R. 879(E).**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies those persons whose principal place of business or place of business lies in the erstwhile State of Jammu and Kashmir till the 30th day of October, 2019; and lies in the Union territory of Jammu and Kashmir or in the Union territory of Ladakh from the 31st day of October, 2019 onwards, as the class of persons who shall follow the following special procedure till the 31st day of December, 2019 (hereinafter referred to as the transition date), as mentioned below.
- 2. The said class of persons shall:-
 - (i) ascertain the tax period as per sub-clause (106) of section 2 of the said Act for the purposes of any of the provisions of the said Act for the month of October, 2019 and November, 2019 as below:
 - (a) October, 2019: 1st October, 2019 to 30th October, 2019;
 - (b) November, 2019: 31st October, 2019 to 30th November, 2019;
 - (ii) irrespective of the particulars of tax charged in the invoices, or in other like documents, raised from 31st October, 2019 till the transition date, pay the appropriate applicable tax in the return under section 39 of the said Act;
 - (iii) have an option to transfer the input tax credit (ITC) from the registered Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN), till the 30th day of October, 2019 in the State of Jammu and Kashmir, to the new GSTIN in the Union territory of Jammu and Kashmir or in the Union territory of Ladakh from the 31st day of October by following the procedure as below:
 - (a) the said class of persons shall intimate the jurisdictional tax officer of the transferor and the transferee regarding the transfer of ITC, within one month of obtaining new registration;

- (b) the ITC shall be transferred on the basis of ratio of turnover of the place of business in the Union territory of Jammu and Kashmir and in the Union territory of Ladakh;
- (c) the transfer of ITC shall be carried out through the return under section 39 of the said Act for any tax period before the transition date and the transferor GSTIN would be debiting the said ITC from its electronic credit ledger in Table 4 (B) (2) of **FORM GSTR-3B** and the transferee GSTIN would be crediting the equal amount of ITC in its electronic credit ledger in Table 4 (A) (5) of **FORM GSTR-3B**.
- 3. The balance of State taxes in electronic credit ledger of the said class of persons, whose principal place of business lies in the Union territory of Ladakh from the 31st day of October, 2019, shall be transferred as balance of Union territory tax in the electronic credit ledger.
- 4. The provisions of clause (i) of section 24 of the said Act shall not apply on the said class of persons making inter-State supplies between the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from the 31st day of October, 2019 till the transition date.

[F. No. 20/06/06/2019-GST] RUCHI BISHT, Under Secy.